राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 17, बुधवार, शाके 1931–जुलाई 8, 2009
Asadha 17, Wednesday, Saka 1931–July 8, 2009

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.94.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, अधिनियम से संलग्न अनुसूची–1 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

<u>संशोधन</u>

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–1 में,–

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 96 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 97, 98, 99 और उसकी प्रविष्टियाँ तुरंत प्रभाव से जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :–

“

97.	अखबार का कागज	
98.	तेल रहित चावल की भूसी	
99.	जड़ी–बूटी, छाल, सूखे पौधे, सामान्यतः जड़ी बूटी के रूप में ज्ञात सूखी जड़ और सूखा आँवला	

”

(ii) इस प्रकार जोड़ी गई क्रम संख्यांक 99 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 100 और उसकी प्रविष्टियाँ 1 अप्रेल, 2006 से जोड़ी गई समझी जायेंगी, अर्थात् :–

“

100.	सिल्क फैब्रिक्स और भारत के बाहर से आयातित फैब्रिक्स को छोड़कर कढ़ाई, ज़री, गोटा, सलमा, चुमकी, सितारा या सजावटी काम के अन्य प्रकार वाली सभी प्रकार की साड़ियाँ	

”

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009-09]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.95.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप–धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–2 में इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–2 में, –

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 16 और उसकी प्रविष्टियों को हटाया जायेगा;

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 31 के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :–

"

32.	राज्य में विद्यालयों को प्रयोगशाला उपस्कर विक्रय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।	
33.	केन्द्रीय बहिःस्राव शोधन संयंत्रों के लिए उपस्कर और रसायन विक्रय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।	

"

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–10]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.96.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा किसी विद्यालय को उसकी प्रयोगशाला में उपयोग में लिये जाने के अनन्य प्रयोजन के लिए प्रयोगशाला उपस्करों के किये गये विक्रय को उस सीमा तक, जिस तक कर की दर 4 प्रतिशत है, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए इसके द्वारा कर से छूट देती है कि ऐसा व्यवहारी ऐसे विक्रयों के समर्थन में इससे संलग्न घोषणा अपने निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देता है।

घोषणा

मैं, ... (विद्यालय का नाम) का प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक इसके द्वारा प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैसर्स ..... से, जिसका टिन ..... है, मूपक बीजक सं. ..... दिनांक ..... रकम ..... द्वारा क्रय किये गये प्रयोगशाला

उपस्कर विद्यालय में छात्रों के प्रायोगिक अध्ययन प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लिये जायेंगे और किसी अन्य रीति में इनका विक्रय या उपयोग या निपटारा नहीं किया जायेगा। भागतः छूट की इस सुविधा के किसी दुरुपयोग की दशा में कर दायित्व के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होऊंगा।

हस्ताक्षर
स्थान : नाम
तारीख : पदनाम

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009-11]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.97.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय बहिःस्राव शोधन संयंत्र के उपस्करों और उसके प्रचालन के लिए रसायनों के विक्रय को, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, इसके द्वारा कर से छूट देती है, अर्थात् :-

1. कि क्रेता ऐसे रसायनों के उपयोग की तिमाही रिपोर्ट उस क्षेत्र के संबंधित सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;
2. कि विक्रेता व्यवहारी अपने निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे विक्रयों के समर्थन में इससे संलग्न प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

<u>प्रमाणपत्र</u>

मैं, ... (सोसाइटी/संस्थान का नाम) का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इसके द्वारा प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैसर्स ....., जिसका टिन ..... है, से मूपक बीजक सं. .... दिनांक ..... रकम ..... द्वारा क्रय किये गये उपस्कर/रसायन केन्द्रीय बहिःस्राव शोधन संयंत्र के प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लिये जायेंगे और किसी भी अन्य रीति में इनका विक्रय या उपयोग या निपटारा नहीं किया जायेगा। छूट की इस सुविधा के किसी दुरुपयोग की दशा में कर दायित्व के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होऊंगा।

हस्ताक्षर
स्थान : नाम
तारीख : पदनाम

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009-12]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.98.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–4 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 में,–

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 60 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित तुरंत प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''	60.	सूखे फूल	4 ''

(ii) क्रम संख्यांक 97 के स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''अखबार के कागज सहित'' तुरंत प्रभाव से हटायी जायेगी;

(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 174 के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 175 और 176 तथा उनकी प्रविष्टियाँ 1 अप्रेल, 2006 से जोड़ी गई समझी जायेंगी, अर्थात् :–

''	175.	भारण ब्रिज को छोड़कर इलैक्ट्रोनिक बाट और मापक	4	
	176.	डायमण्ड बिट्स	4	''

(iv) इस प्रकार जोड़ी गई क्रम संख्यांक 176 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी क्रम संख्यांक 177 और 178 तथा उनकी प्रविष्टियाँ तुरंत प्रभाव से जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:–

''	177.	सभी प्रकार के भवन निर्माण के पत्थर, ग्रिट और गिट्टी	4	
	178.	विमानन टर्बाइन ईंधन	4	''

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–13]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.99.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना

समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 5 में इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 5 में, जहां कहीं भी आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''12.5'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''14'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–14]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.100– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची–6 के स्थान पर, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''अनुसूची 6
[नियम 4 (5) देखिए]
विशेष दरों पर कराधेय माल

क्र. सं.	माल का विवरण	कर की दर (%)	शर्तें, यदि कोई हों।
1	2	3	4
1.	हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल ऑयल।	18	
2.	शीरा	20	
3.	विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर	20	
4.	तम्बाकू और उसके उत्पाद	20	
5.	पेट्रोल	28	
6.	अफीम	50	

''

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–15]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.101– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(15)वित्त/कर/2008–80 दिनांक 25.02.2008 को इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित करती है।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–16]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.102– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा उपबंध करती है कि अधिनियम की धारा 4 के अधीन पूर्व में जारी किसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपयोग में लायी गयी मोटर कार के विक्रय के संबंध में संदेय कर की दर, जहां मोटर कार की इंजन क्षमता 1000 सी.सी. तक हो और जहां इंजन क्षमता 1000 सी.सी. से अधिक हो, ऐसी मोटर कारों पर कर क्रमशः 2000 रु0 और 5000 रु0 प्रति यूनिट होगा।

यह तुरन्त प्रवृत होगा।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–17]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.103.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस निमित्त जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य

सरकार इसके द्वारा उपबंधित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन पूर्व में जारी किसी भी अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इससे संलग्न सूची–क और ख के स्तंभ सं. 2 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, संदेय कर की दर, तुरन्त प्रभाव से, उसके स्तंभ सं. 3 में प्रत्येक के सामने दर्शित के अनुसार होगी, अर्थात् :–

सूची–क

भार के आधार पर संदेय कर

मद सं.	माल का विवरण	प्रति टन संदेय कर (रूपयों में)
1	2	3
1.	**रेत को सम्मिलित करते हुए बजरीः–**	
	(क) चम्बल, बनास, माही, खारी, खरका।	18/–
	(ख) ऊपर (क) को छोड़कर अन्य स्थानीय स्रोत। (i) अजमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और अलवर जिले। (ii) सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर और अन्य जिले।	 12/– 6/–
2.	**संगमरमर और ग्रेनाइट के सभी प्रकारों को छोड़कर भवन निर्माण का पत्थर :–**	
	(क) धौलपुर, करौली जिले और भरतपुर की बयाना तहसील।	ब्लॉकः 122/– रबलः 7/–
	(ख) जोधपुर जिला।	ब्लॉकः 27/– रबलः 7/–
	(ग) जैसलमेर जिला।	ब्लॉकः 41/– रबलः 7/–
	(घ) भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिले।	ब्लॉकः 61/– रबलः 7/–
	(ङ) बारां जिला।	रबलः 7/–
	(च) जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर और झुन्झुनू जिले।	रबलः 8/–
	(छ) पाली जिले की रायपुर तहसील।	रबलः 2/–
	(ज) खण्ड (क) से (छ) तक में यथा–उल्लिखित के सिवाय समस्त जिले/ तहसीलें।	ब्लॉकः 14/– रबलः 5/–
3.	**(i) पॉलिश किया हुआ पत्थर और (ii) सभी प्रकार के संगमरमर और ग्रेनाइट को छोड़कर फर्शी/फर्श का पत्थर :–**	
	(क) भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिले।	61/–
	(ख) करौली, धौलपुर जिले	48/–
	(ग) चित्तौड़गढ़ जिला।	34/–
	(घ) उपर्युक्त जिलों से भिन्न।	27/–
4.	**पट्टी/रूफ स्लेब, आसलेट :–**	
	(क) भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिले।	61/–
	(ख) चित्तौड़गढ़ जिला	34/–
	(ग) जोधपुर जिला–आसलेट	65/–
	(घ) अलवर, धौलपुर और करौली जिले।	48/–
	(ङ) पाली जिले की रायपुर तहसील।	14/–
	(च) खण्ड (क) से (ङ) में यथा–उल्लिखित के सिवाय समस्त जिले/ तहसीलें	29/–
5.	**ग्रिट**	14/–

6.	**गिट्टी और कांकरी को सम्मिलित करते हुए रोड़ी पत्थर :–**	
	(क) पाली जिले की रायपुर तहसील	2/–
	(ख) खण्ड (क) में यथा–उल्लिखित के सिवाय समस्त जिले/ तहसीलें।	8.50/–
7.	मोरम	5/–

सूची–ख
इकाई के आधार पर संदेय कर

मद सं.	माल का विवरण	प्रति हजार इकाई पर संदेय कर
1	2	3
1.	ईंटें	50/– रु.

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–18]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.104.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके अधीन संलग्न सूची के स्तम्भ सं. 2 में उल्लिखित माल, जो यान या वाहक के माध्यम से लाया या ले जाया गया हो, के विक्रय या क्रय पर, धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन संदेय कर से किसी व्यवहारी या व्यक्ति को इसके द्वारा इस शर्त पर छूट देती है कि ऐसा व्यवहारी या व्यक्ति, ऐसे माल के संबंध में यथा–विनिर्दिष्ट, इसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने यथा–उल्लिखित छूट फीस का संदाय कर देता है, अर्थात्:–

प्रति ट्रक छूट फीस
सूची

मद सं.	माल का विवरण	प्रति ट्रक छूट फीस (रुपयों में)
1	2	3
1.	**रेत को सम्मिलित करते हुए बजरी:–**	
	(क) चम्बल, बनास, माही, खारी, खरका ।	240/–
	(ख) ऊपर (क) को छोड़कर अन्य स्थानीय स्रोत (i) अजमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और अलवर जिले। (ii) सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर और अन्य जिले।	 120/– 60/–

2.	**संगमरमर और ग्रेनाइट के सभी प्रकारों को छोड़कर भवन निर्माण का पत्थर**	
	(क) धौलपुर, करौली जिले और भरतपुर की बयाना तहसील।	ब्लॉकः1342/– रबलः 70/–
	(ख) जोधपुर जिला।	ब्लॉकः 270/– रबलः 70/–
	(ग) जैसलमेर जिला।	ब्लॉकः 500/– रबलः 70/–
	(घ) भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले।	ब्लॉकः1037/– रबलः 98/–
	(ङ) बारां जिला।	रबलः 98/–
	(च) जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर और झुन्झुनू जिले।	रबलः 96/–
	(छ) पाली जिले की रायपुर तहसील।	रबलः 27/–
	(ज) खण्ड (क) से (छ) तक में यथा–उल्लिखित के सिवाय समस्त जिले/तहसीलें।	ब्लॉकः 136/– रबलः 68/–
3.	**(i) पॉलिश किया हुआ पत्थर और (ii) सभी प्रकार के संगमरमर और ग्रेनाइट को छोड़कर फर्शी/फर्श का पत्थरः–**	
	(क) भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिले।	976/–
	(ख) करौली, धौलपुर जिले	576/–
	(ग) चित्तौड़गढ़ जिला।	476/–
	(घ) उपर्युक्त से भिन्न जिले	270/–
4.	**पट्टी/रूफ स्लेबः–**	
	(क) भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिले	976/–
	(ख) चित्तौड़गढ़ जिला	476/–
	(ग) पाली जिले की रायपुर तहसील	140/–
	(घ) खण्ड (क) से (ग) में यथा–उल्लिखित के सिवाय समस्त जिले/तहसीलें।	580/–
5.	ग्रिट	168/–
6.	**गिट्टी और कांकरी को सम्मिलित करते हुए रोड़ी पत्थर**	
	(क) पाली जिले की रायपुर तहसील	24/–
	(ख) खण्ड (क) में यथा–उल्लिखित के सिवाय समस्त जिले/ तहसीलें	102/–
7.	मोरम	100/–

परन्तु :

(i) टर्बो ट्रक/ट्रोला के मामले में छूट फीस ट्रक की छूट फीस से दुगुनी होगी और ट्रैक्टर ट्रोली के मामले में आधी होगी।

(ii) पशु चालित गाड़ी के मामले में संदेय छूट फीस, ट्रक के लिए संदेय छूट फीस की रकम का पाँच प्रतिशत होगी।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–19]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.105– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं.4) की धारा 8 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, साबुन, ईंटें, लोहे या स्टील या लकड़ी के फर्नीचर और मार्बल, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर के उत्पादों को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था, सहकारी सोसाइटी या किसी व्यष्टि द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय को, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, कर के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात्:–

1. कि छूट ऐसी किसी संस्था, सहकारी सोसाइटी और व्यष्टि को उपलब्ध होगी जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन गठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग या राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अधीन गठित खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी इकाई के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी कर दिया हो;
2. कि उप आयुक्त (प्रशासन), ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसी इकाई को इस अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा अनुज्ञात करते हुए तीन वर्ष के लिए हकदारी प्रमाणपत्र जारी करेगा जो एक बार में एक वर्ष के लिए नवीकरणीय हो सकेगा;
3. कि छूट ऐसी हिताधिकारी इकाई को उसके द्वारा किये गये विक्रय के बिन्दु पर ही उपलब्ध होगी;
4. कि छूट व्यष्टियों के लिए तीन लाख रूपये तक और अन्य के लिए सौ लाख रूपये तक के उनके वार्षिक पण्यावर्त पर ही उपलब्ध होगी;
5. कि जहां वार्षिक पण्यावर्त उपर्युक्त सीमाओं से अधिक हो जाता है वहाँ उपर्युक्त सीमाओं से अधिक के पण्यावर्त पर ही कर उद्गृहीत किया जायेगा; और
6. कि जहां हिताधिकारी इकाई करवंचना या कर के परिवर्जन में संलिप्त है या राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और/या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का पालन करने में असफल रहती है वहाँ उप आयुक्त (प्रशासन), ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह समुचित समझे, ऐसे व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, छूट का फायदा देने वाले उपर्युक्त हकदारी प्रमाणपत्र को निरस्त कर देगा।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–20]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.106– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 79 की उप–धारा (1) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 उप–नियम (1) के खण्ड (i) और (iii) के अनुसरण में और इस निमित्त जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त खण्डों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित माल को इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1. मोल्डेड फर्नीचर को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के फर्नीचर
2. सभी प्रकार के लुब्रिकेन्ट्स
3. सभी प्रकार के गद्दे, कुशन, तकिये, सभी प्रकार की चद्दरें, फोम रबर या प्लास्टिक फोम या अन्य सिन्थेटिक फोम से बनी अन्य वस्तुएं और रबरयुक्त कॉयर गद्दे
4. सभी प्रकार के नहाने और कपड़े धोने के साबुन तथा डिटर्जेन्ट
5. सीमेन्ट से बने हुए सभी सामान
6. सभी प्रकार के बियरिंग
7. सेनेटरी पाइप और फिटिंग को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के सेनेटरी का सामान
8. यूपीएस और सी वी टी एस को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार का बिजली का सामान
9. ओडियो और वीडियों कैसेट्स
10. मक्खन और देशी घी
11. कम्प्यूटर, इसके सॉफ्टवेयर, फलॉपीज और पुर्जे
12. एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर को सम्मिलित करते हुए कूलिंग उपस्कर
13. वायर को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार का कॉपर
14. लौंग, इलाचयी, कालीमिर्च और सुपारी को सम्मिलित करते हुए सूखे मेवे
15. कच्चा या परिष्कृत खाद्य तेल और हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल
16. टीवी, वी सी आर, वी सी पी को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं
17. गुड़
18. के.वि.क. अधिनियम की धारा 14 के अधीन यथा–परिभाषित लोहा और इस्पात
19. मोटर गाड़ी और ट्रेक्टर के पुर्जे सिवाय इसके कि जब इनका उपयोग मोटर गाड़ियों या ट्रेक्टरों के विनिर्माण में किया जाये
20. पान–मसाला, गुटखा और चुर्री
21. पेन्ट्स और वार्निश, कलर और डाई
22. टिम्बर, प्लाईवुड, नुवुड और लेमिनेटेड शीट्स
23. माचिस
24. दूर–संचार और ध्वनिप्रेषण उपस्कर जिसमें सेल्यूलर, कार्डलेस, टेलीफोन, फैक्स और पेजर सम्मिलित है
25. चाय
26. सभी प्रकार के धागे चाहे वे सूती, ऊनी या संश्लिष्ट हो
27. धातु के बर्तन
28. सभी प्रकार की क्रॉकरी
29. फोटोग्राफी का सामान

30. प्लास्टिक का सामान, पी वी सी दाना सिवाय इसके कि जब इनका उपयोग प्लास्टिक के सामान के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किया जाये
31. रबड़ और रबड़ से बना सामान
32. अभ्यास पुस्तिकाओं सहित समस्त प्रकार के कागज और कागज उत्पाद
33. सभी प्रकार की टाईल्स
34. पटाखे
35. अखाद्य तेल
36. चावल
37. बिनोला
38. समस्त प्रकार के फुटवियर

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009-21]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.107- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 79 की उप-धारा (1) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के अनुसरण में और इस निमित्त जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, नीचे दी गयी सूची में वर्णित माल से भिन्न समस्त माल को उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए अधिसूचित माल होने के लिए इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

सूची

(i) हाई और लाइट स्पीड डीजल ऑयल पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल; और
(ii) ऐसा माल जिसका व्यवहारियों द्वारा विक्रय या क्रय अनुसूची-1 के अधीन कर से छूट प्राप्त है।
(iii) ऐसा माल जिसका व्यवहारियों द्वारा विक्रय या क्रय, किसी फीस के संदाय के साथ या बिना केवल छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त पर, छूट प्राप्त है।
(iv) ऐसा माल जिसको व्यवहारियों द्वारा विक्रय या क्रय, किसी फीस के संदाय के साथ केवल छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त पर छूट प्राप्त है और ऐसा छूट प्रमाणपत्र उस व्यवहारी द्वारा प्राप्त किया गया है जिसे माल प्रेषित किया गया है; और
(v) ऐसा माल जिसका व्यहारियों द्वारा विक्रय या क्रय केवल इस शर्त पर छूट प्राप्त है कि छूट का दावा करने वाले व्यवहारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में माल अभिलिखित है।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009-22]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.108– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 79 की उप–धारा (2) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 54 के उपनियम (1) के खण्ड (i) के अनुसरण में और इस निमित्त जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित माल को इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1. सीमेन्ट
2. रासायनिक खाद
3. मोटरगाड़ियां
4. मोटरगाड़ियों के टायर और ट्यूब

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–23]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.109– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 79 की उप–धारा (2) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 54 के उपनियम (1) के खण्ड (ii) के अनुसरण में और इस निमित्त जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित माल को इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1. जीरा
2. स्टेनलेस स्टील को छोड़कर आयरन और स्टील
3. सोयाबीन
4. चना और उसकी दाल
5. धनिया
6. तेन्दु पत्ता
7. कच्चा या परिष्कृत खाद्य तेल
8. तिलहन

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–24]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.110– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. **नियम 19 का संशोधन.–** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 19 के उप–नियम (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''वह प्ररूप मूपक 13 में कारबार के प्रत्येक स्थान के पण्यावर्त के ब्यौरों की सूचना भी ऐसे क्षेत्र के सहायक आयुक्त या वाणिज्यिक कर अधिकारी को या ऐसी शाखा पर अधिकारिता रखने वाले करदाता सेवा कार्यालय को प्ररूप मूपक 13 में देगा। करदाता सेवा कार्यालय या सहायक आयुक्त या वाणिज्यिक कर अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात्, ऐसी विवरणी को कारबार के मुख्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को अग्रेषित करेगा'' हटायी जायेगी।

3. **नियम 19क का संशोधन.–** उक्त नियमों के नियम 19क के उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''और व्यवहारी द्वारा स्वयं या उसके कारबार प्रबन्धक द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर करके सत्यापित किया जायेगा। ऐसा व्यवहारी विवरणी को फाइल करने के लिए विहित कालावधि में, यदि संदाय इलैक्ट्रोनिक रूप से नहीं किया गया है तो कानून द्वारा अपेक्षित घोषणा प्ररूप ओर कर के निक्षेप का सबूत भी प्रस्तुत करेगा। यदि प्ररूप मूपक–15 की अपेक्षा के सिवाय उपर्युक्त अपेक्षाओं में से किसी का भी अनुपालन नहीं किया जाता है तो इसे विवरणी फाइल नहीं करने का मामला समझा जायेगा।'' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

''और व्यवहारी द्वारा स्वयं या उसके कारबार प्रबन्धक द्वारा विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त इस प्रकार फाइल की गयी विवरणी पर अपने हस्ताक्षर करके सत्यापित किया जायेगा और इसे अपने निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को कर के निक्षेप के सबूत के साथ ऐसी विवरणी को फाइल करने के लिए विहित कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे व्यवहारी से खण्ड (क) से (ज) के अधीन उस जानकारी की, जो पहले ही इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत कर दी गयी है, हाई–प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। नियमों या राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं के अधीन अपेक्षित प्ररूप/प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा के सिवाय यदि उपर्युक्त अपेक्षाओं में से किसी की भी अनुपालना नहीं की जाती है तो इसे विवरणी फाइल नहीं करने का मामला समझा जायेगा।''

4. **नियम 21 का संशोधन.–** उक्त नियमों के उप–नियम (1) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि 31 मार्च, 2009 तक पूर्ण किये गये निर्धारणों के लिए व्यवहारी 31 मार्च, 2010 तक घोषणा प्ररूप/ प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।''

5. **नियम 27क का अन्तःस्थापन.–** विद्यमान नियम 27 के पश्चात् और नियम 28 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 27क अन्तः स्थापित किया जायेगाः–

''27क कतिपय मामलों में कर का अनन्तिम प्रतिदाय.– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां किसी व्यवहारी ने तिमाही निर्धारण के लिए विकल्प दिया है और इलैक्ट्रोनिक रूप से विवरणी फाइल करता है वहां उसे सुसंगत तिमाही के लिए विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से तीस दिन के अपश्चात् प्रतिदेय रकम के पचास प्रतिशत की सीमा तक अनंतिम प्रतिदाय अनुज्ञात किया जायेगा। इस प्रकार मंजूर किया अनंतिम प्रतिदाय प्रतिदेय रकम के निक्षेप के पश्चात्कर्ता सत्यापन के अध्यधीन होगा।''

6. **नियम 54 का संशोधन.–** उक्त नियमों के नियम 54 के विद्यमान उप–नियम (1), इसके परन्तुकों को छोड़कर, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो किसी कराधेय माल को राज्य के बाहर किसी स्थान पर,–

(i) ऐसे माल को छोड़कर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, राज्य के बाहर विक्रय के लिए या शाखा अन्तरणों/डिपो अन्तरणों/स्टाक अन्तरणों के रूप में; या

(ii) राज्य सरकार द्वारा यथा–अधिसूचित, अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में; या

(iii) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप–धारा (3) में यथा परिभाषित निर्यात के अनुक्रम में;

प्रेषित करता है, स्याही से सभी प्रकार से पूर्णरूप से भरी हुई प्ररूप मूपक 49 में घोषणा देगा या दिलवायेगा और प्ररूप में उपबंधित विनिर्दिष्ट स्थान पर मूल्य, ऐसे प्ररूप के उपयोग की तारीख और मास को पंच करना सुनिश्चित करेगा। ऐसा व्यवहारी प्ररूप 49 का प्रतिपर्ण अपने पास रखेगा और 'मूल' और 'दूसरी प्रति' के रूप में चिन्हित भाग संचलन में के माल के साथ ले जाया जायेगा। तथापि, जहां एक ही बीजक के अधीन आने वाला माल एक से अधिक यानों में ले जाया जा रहा है वहां ऐसे प्रत्येक यान के साथ, यान में ले जाये जा रहे माल के मूल बीजक और चालान की फोटो प्रति के साथ पृथक् प्ररूप मूपक 49 होगा।

7. **मूपक 13 का हटाया जाना.–** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान मूपक 13 हटाया जायेगा।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–25]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.111– केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.74) की धारा 13 की उप–धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 4क का संशोधन.–** केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4क के विद्यमान उप–नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप–नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''(5) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई व्यवहारी डिजीटल हस्ताक्षर किये बिना इस शर्त के अध्यधीन इलैक्ट्रोनिक रूप से विवरणी फाइल कर सकेगा कि ऐसा व्यवहारी विभाग की शासकीय वेब–साइट के माध्यम से प्राप्त इस प्रकार फाइल की गयी विवरणी की हस्ताक्षरित प्रति कर के निक्षेप के सबूत के साथ फाइल कर देगा और इसे अपने निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी विवरणी फाइल करने के लिए विहित कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर देगा। यदि व्यवहारी ऐसा करने में असफल रहता है तो इसे विवरणी फाइल नहीं करने का मामला समझा जायेगा।''

3. **नियम 6 का संशोधन.–** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 6 में अभिव्यक्ति ''वह शाखा या शाखाओं से संबंधित प्रत्येक निर्धारण प्राधिकारी को उसकी सूचना भेजेगा।'' हटायी जायेगी।

4. **नियम 17च का अन्तःस्थापन.–** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 17 ङ के पश्चात् और नियम 18 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 17च अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''17च. घोषणा प्ररूप अभिप्राप्त करने के लिए इलैक्ट्रोनिक रूप से आवेदन फाइल करना.– (1) नियम 17 या 17ग या 17ङ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और पण्यावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 के अधीन विहित घोषणा प्ररूप जारी किये जाने के लिए सम्यक् रूप से पूर्ण आवेदन किसी व्यवहारी द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को विभाग की शासकीय वेब–साइट के माध्यम से नियम 17 या 17ङ के अधीन अधिसूचित फीस के संदाय के सबूत के साथ इलैक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप के.वि.क. 9ख में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) उप–नियम (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियम 17 या 17ग या, यथास्थिति, 17ङ. के अधीन संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित घोषणा प्ररूपों या प्रमाणपत्रों के रजिस्टर की स्कैन की हुई प्रति सहित प्ररूप के.वि.क.9ख में आवेदन की प्राप्ति पर, निर्धारण प्राधिकारी अपने द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित पूर्ण रूप से भरे हुए घोषणा प्ररूप जारी करेगा और उसे व्यवहारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेगा। निर्धारण प्राधिकारी आवेदक व्यवहारी को घोषणा प्ररूप के जारी किये जाने या रोकने

के संबंध में प्ररूप के.वि.क. 9ख में यथा–उल्लिखित उसके ई–मेल पते पर सूचना भी देगा।

(3) वहां कोई घोषणा प्ररूप जारी नहीं किया जायेगा जहां आवेदक व्यवहारी,–

(क) धारा 7 की उप–धारा (2क) के अधीन और/ या धारा 7 की उप–धारा (3क) के अधीन प्रारम्भिक या अतिरिक्त प्रतिभूति मांगने के किसी आदेश की पालना करने में असफल हुआ है; या

(ख) उसे आवेदित प्ररूपों की आवश्यकता नहीं है; या

(ग) उसने पूर्व में जारी किये गये प्ररूपों का समुचित उपयोग नहीं किया है;

तथापि, निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा किये जाने के कारणों का लिखित अभिलेख रखेगा, और आवेदक को तदनुसार सूचित भी करेगा।

(4) निर्धारण प्राधिकारी आवेदक को घोषणा प्ररूप जारी किये जाने को रोक सकेगा यदि उसने.–

(i) किसी बकाया मांग का संदाय करने में; या

(ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और/ या राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अधीन देय कर या किसी अन्य राशि का विहित समय के भीतर संदाय करने में, या

(iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार और/या राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अधीन कोई विवरणी या विवरणियां प्रस्तुत करने में, व्यतिक्रम किया है। तथापि, इस उप नियम के अधीन व्यवहारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा। जहां किसी विशिष्ट मामले में उक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि राज्य राजस्व का हित ऐसी अपेक्षा करता है, वहां वह घोषणा प्ररूप रोकने के स्थान पर में ऐसे प्ररूप, ऐसी संख्या में ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो युक्तियुक्त समझी जाये, के अध्यधीन रहते हुए जारी कर सकेगा।

(5) नियम 17 और17ङ के समस्त अन्य उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

5. प्ररूप के.वि.क. 9ख का अन्तः स्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप के.वि.क. 9क के पश्चात् और प्ररूप के.वि.क. 10 के पूर्व, निम्नलिखित के.वि. क. 9ख अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

''प्ररूप के.वि.क. 9ख

(नियम 17च देखिए)

घोषणा प्ररूप अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवामें,

सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी/
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
..... सर्किल

महोदय,

1. मैं/हम..... केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हूँ/हैं और मेरा/हमारा टिन ..... है तथा मेरे/हमारे कारबार का मुख्य स्थान आपकी अधिकारिता के भीतर है।

2. मैं/हम आपसे रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप** मुझे/हमें जारी करने का अनुरोध करता हूँ/हैं। पारेषण/शाखा अन्तरण/ डिपो अन्तरण/स्टॉक अन्तरण पर मेरे/ हमारे द्वारा क्रय किये गये/प्राप्त किये गये माल का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	माल के विक्रेता/ अंतरक का नाम	विक्रेता का टिन	बीजक/ केश मीमो/ चालान सं.	बीजक/ केश मीमो/ चालान की तारीख	माल का मूल्य
1	2	3	4	5	6

3. घोषणा प्ररुप जारी करने के लिए विहित फीस के संदाय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	निक्षिप्त रकम (शब्दों में)	निक्षिप्त रकम (अंकों में)	निक्षेप की तारीख	चालान सं. (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5

टिप्पणः 1. जहां फीस का संदाय इलैक्ट्रोनिक रूप से नहीं किया गया है वहां चालान की स्कैन की गयी प्रति संलग्न की जायेगी।

4. प्रयुक्त घोषणा प्ररुपों के ब्यौरे के संबंध में प्ररुप के.वि.क.3/के.वि.क.4/के.वि.क. 13 की स्कैन की गयी प्रति इसके साथ संलग्न है।

** अपेक्षित घोषणा प्ररूप के नाम की प्रविष्टि करें।

कम्पनी के स्वत्वधारी/प्रबंधक/ सचिव/
फर्म के भागीदार का नाम''

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–26]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.112.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 73 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा आउटलेट वाले या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो अनन्य रूप से छूट प्राप्त माल में व्यवहार करते हैं, के

मामले में लेखाकार द्वारा संपरीक्षित लेखों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा से इसके द्वारा अभिमुक्त करती है।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009-27]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.113.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, घरेलू उपयोग के लिए लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस को निम्नलिखित शर्तो पर इस अधिनियम के अधीन संदेय कर से 6.9.2008 से इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात्:-

(1) कि संगृहीत या प्रभारित कर, यदि कोई हो, राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा; और
(2) कि राज्य सरकार को निक्षिप्त कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009-28]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.114- राजस्थान (होटल और वासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(14)एफ.डी/टैक्स/2006-141, दिनांक 8.3.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि इस अधिनियम के अधीन होटलों और वासों के स्वामी द्वारा होटलों या वासों में उपलब्ध कराये गये विलासों के लिए संदेय कर निम्न प्रकार से होगाः-

यदि विलासों के लिए प्रभारों की दर	**कर की दर**
(i) प्रतिदिन या उसके भाग के लिए रु0 3001/-या अधिक है।	10%
(ii) हैरिटेज होटल के मामले में प्रतिदिन या उसके भाग के लिए रु0 3001/- या अधिक है।	8%

स्पष्टीकरणः इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए हैरिटेज होटल से, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित स्कीम के अधीन यथा परिभाषित हैरिटेज होटल अभिप्रेत हैं।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009-29]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.115.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(15)वित्त/कर/2008-104 दिनांक 17.3.08 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की लिखतो पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तुरन्त प्रभाव से 11 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जायेगा।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009-30]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.116.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. एफ. 2(11)वित्त/कर/2003-110 दिनांक 14.1.04 में, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के खण्ड 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''5 प्रतिशत'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''4 प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009-31]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.117.– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल, नगर सुधार न्यासों एवं नगर पालिकाओं द्वारा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मामले में पच्चीस वर्ग मीटर से अनधिक के कारपेट एरिया वाले आवासीय भूखण्ड या आवास इकाई के पट्टे या विक्रय के संबंध में, निष्पादित लिखत पर संदेय स्टाम्प शुल्क घटाकर केवल 10/– रु0 किया जायेगा और निम्न आय वर्ग के 40 वर्गमीटर से अनधिक के कारपेट एरिया वाले आवासीय भूखण्ड या आवास इकाई के मामले में घटाकर 25 रु0 निम्नलिखित शर्तों पर तुरंत प्रभाव से किया जायेगा, अर्थात्:–

(क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मामले में उस परिवार की मासिक आय 3300/– रुपये से अधिक न हो; और

(ख) निम्न आय वर्ग के मामले में उस परिवार की मासिक आय 3301/– से अन्यून और 7300/– रुपये से अधिक न हो।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–32]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
आदेश
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.118.– राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस तथ्य का विचार करते हुए कि राज्य में भूमि के बाजार मूल्य में सारभूत रूप से बढ़ोतरी हुई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरें या महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दरें भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य को नहीं दर्शाती हैं, इसके द्वारा आदेश करती है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी भूमि की बाजार दरें या, यथास्थिति, महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दरें, तुरन्त प्रभाव से पुनः अवधारित की जायेंगी और उन्हें बढ़ाकर जयपुर जिले में स्थित भूमि के मामले में 25 प्रतिशत और समस्त अन्य क्षेत्रों, जिनमें वर्ष 2009 में जिला स्तरीय समिति द्वारा दरें पुनरीक्षित नहीं की गयी थीं, में स्थित भूमि के मामले में 10 प्रतिशत किया जायेगा।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–33]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.119.– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए उससे द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2009 है।
(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 58 का संशोधन.–** राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–
''(2) यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी भूमि की दरें ऐसी सिफारिश की तारीख से एक वर्ष के भीतर पुनरीक्षित नहीं की जाती हैं या यदि किसी क्षेत्र में भूमि का बाजार मूल्य सारभूत रूप से बढ़ जाता है या घट जाता हैं तो राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा किये गये किसी निर्देश पर या तो ऐसी वृद्धि या कमी को दर्शित करने वाले कारणों पर विचार करके या इस प्रयोजन के लिए गठित समिति, जिसमें सचिव, वित्त (राजस्व) अध्यक्ष के रूप में और महानिरीक्षक स्टाम्प, उप सचिव वित्त (कर), सम्बन्धित जिले का कलक्टर और सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उस जिले का कोई लोक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं, द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर, ऐसे क्षेत्रों में भूमि की दरें आदेश द्वारा पुनः अवधारित कर सकेगी। इस प्रकार अवधारित दरें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण का आधार होंगी और तब तक विधिमान्य रहेंगी जब तक जिला स्तरीय समिति इस प्रकार अवधारित दरें पुनरीक्षित न कर दे।''।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–34]
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 जुलाई, 2009

एस.ओ.120.– राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 4) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गई सारणी स्तम्भ संख्या 2 में उल्लिखित भूमियों के वर्ग के संबंध में प्रत्येक वर्ष के

लिए संदेय कर की दर को 01.4.2009 से इसके द्वारा घटाती है और उनके सामने स्तम्भ संख्या 3 में यथा–उल्लिखित दर विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :–

क्र. सं.	भूमि का वर्ग	कर की दर
1	2	3
1.	10 हैक्टर या अधिक माप वाली बलुआ पत्थर युक्त भूमियां	0.05 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो।
2.	शीशा–जस्ता, तांबा, रॉक फास्फेट, सीमेण्ट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 10 हेक्टर या अधिक किन्तु 50 हैक्टर से कम माप वाली भूमि	0.40 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।
3.	शीशा–जस्ता, तांबा, रॉक फास्फेट, सीमेण्ट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 50 हैक्टर या अधिक, किन्तु 100 हैक्टर से कम माप वाली भूमि	0.50 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।
4.	शीशा–जस्ता, तांबा, रॉक फास्फेट, सीमेण्ट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 100 हेक्टर या अधिक, किन्तु 500 हैक्टर से कम माप वाली भूमि	0.65 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।
5.	शीशा–जस्ता, तांबा, रॉक फास्फेट, सीमेण्ट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 500 हैक्टर या अधिक माप वाली भूमि	0.75 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।

[एफ.12(84)वित्त/कर/2009–35**]**
राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. राजावत,
शासन उप सचिव